-1. R- 417/I/17.

14

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प सागर

R 417- I-17.

नन्दकिशोर पिता श्री जगन्नाथ प्रसाद पारासर
निवासी बीना तह.बीना जिला सागर म.प्र. ....निगरानीकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

अशोक उर्फ किशनचन्द पिता श्री बिहारी लाल साहू
निवासी ग्राम कलरावनी तह.बीना जिला सागर म.प्र. ....उत्तरवादी/ अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता/आवेदक न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार वृत परसोरिया जिला सागर के राजस्व प्रकरण कमांक 86अ/6 वर्ष 2015-16 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 19.01.2017 से परिवेदित होकर नीचे लिखे तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी याचिका प्रस्तुत करता है-

1. यह कि संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि अनावेदक के द्वारा ग्राम इटावा पटवारी हल्का नंबर 19/51 तह.बीना जिला सागर की भूमि खसरा नंबर 423 में रकवा 315 वर्गफुट बैनामा दिनांक 27.07.1974 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र श्रीमान् तहसीलदार बीना के न्यायालय में 40 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत किया जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक को आहूत किया। आवेदक ने उपस्थित होकर अपना विस्तृत जबाव प्रस्तुत किया परन्तु अनावेदक द्वारा उक्त नामान्तरण प्रकरण को स्थानांतरित कराया गया तथा अब प्रकरण श्रीमान् नायब तहसीलदार परसोरिया जिला सागर के न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें आवेदक द्वारा आदेश 7 नियम 11 व्यावहार प्रकिया संहिता सहपठित धारा 32 म.प्र.भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि अनावेदक द्वारा कयसुदा भूमि बीना सागर मुख्य मार्ग के निर्माण में पूर्व में अधिगृहित की जाकर रोड का निर्माण किया जा चुका है। केता/अनावेदक की कोई भूमि शेष नहीं बची है तथा अनावेदक द्वारा 40 वर्ष बाद नामान्तरण हेतु आवेदन दिया है ऐसी स्थिति में अनावेदक द्वारा बिलम्ब का कोई कारण दर्शित नहीं किया है। बेनामा सन्देहास्पद होने से बिना सिविल न्यायालय की स्वत्व की घोषणा कराये। यह प्रकरण प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किया जावे। आवेदक की आपत्ति पर सुनवाई किये जाने के उपरान्त विधिक बिन्दुओं की ओर ध्यान न देते हुए दिनांक 19.01.2017 को आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध यह निगरानी याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।
2. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि अनावेदक द्वारा कय की गई भूमि बीना सागर मुख्य मार्ग में अधिगृहीत की जाकर सड़क का निर्माण किया जा चुका है इस कारण अनावेदक की कोई भूमि शेष न होने से नामान्तरण करा पाने का अधिकारी नहीं है इस तथ्य की ओर ध्यान न देकर आलोचना आदेश पारित किया है जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक–417 /1/2016 जिला– सागर

स्थान तथा दनांक	कार्यवाही तथा आदेश नंदकिशोर वनाम अशोक व अन्य	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.2.17	1– आवेदक के बिद्वान अधिवक्ता श्री के0 एस0 निगम ने यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बृत परसोरिया, जिला सागर द्वारा प्र0क0 86/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 19/01/2017 से दुखित होकर प्रस्तुत की है। केवियटकर्ता अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद पटैल उपस्थित। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये। प्रश्नाधीन आदेश एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। 2– प्रकरण में प्रमुख बिबाद बिक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण के संबंध में है। जिस वावद प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में बिचाराधीन है। जिसकी प्रचलनशीलता के संबंध में आवेदक की ओर से एक आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19/01/2017 को निरस्त करके प्रकरण साक्ष्य व तर्क वावद दिनांक 04/02/2017 को नियत किया है। 3– प्रश्नाधीन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में मुख्य बिबाद बिक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण को लेकर है। जिस हेतु संहिता की धारा 109, 110 में नायब तहसीलदार को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। अभी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित नहीं किया है, प्रकरण में बिचारण शेष है। जिसमें आवेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी इसी स्तर पर प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि, उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का निराकरण एक माह में गुणदोषों के आधार पर करें। सदस्य	

B/14